उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या : 32/2018/529/छप्पन-2018-93/2016

लखनऊ : दिनांक : 24 मार्च, 2018

फार्म बी0एम0-9 (भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

अनुदान संख्या व नाम : अनुदान संख्या-38, नागरिक उड्डयन अनुभाग वित्तीय वर्ष : 2017-18 (धनराशि लाख रूपये में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/ विनियोग (2-5)
1	2	3	4	5	6
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-03-हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र					
5053808000326	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0000.00
योग	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	0000.00

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) पूंजीगत लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/ विनियोग (8*11)
7	8	9	10	11	12
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पटिटयों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-24-वृहत्त निर्माण कार्य	60000.00	62000.00	2000.00	2000.00	62000.00
5053028002024	60000.00	62000.00	2000.00	2000.00	62000.00
योग	60000.00	62000.00	2000.00	2000.00	62000.00

1- स्तम्भ-3 में इंगित मद में चालू वित्तीय वर्ष में वायुयान/हेलीकाप्टर का क्रय प्रस्तावित न होने के कारण बचत संभावित है। 2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में हवाई पटिटयों के निर्माण, रि-सरफेसिंग कार्य एवं सिविल ऐन्क्लेव की स्थापना हेतु भूमि क्रय के लिए व्ययाधिक्य हो रहा है। 3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर- 150 ,151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है। (सूर्य पाल गंगवार) विशेष सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।	आर.ई. संख्या-614 ई-7-/दस-2018, दिनांक : 24 मार्च, 2018 सेवा में, महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद। हस्ताक्षर ..... (राजेन्द्र राम) अनु सचिव, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।
संख्या : 32/2018/529(1)/छप्पन-2018-तद्दिनांक प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :- 1- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ। 2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ। 3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ। 4- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) 6- गार्ड बुक।	(डॉ सत्य प्रकाश तिवारी) अनु सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग।